प्रेषक,

नेहा जैन
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स् अनु0-1 लखनऊ :दिनांक 09 अक्टूबर,2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट अप नीति का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मद में प्राविधिानित धनराशि में से रु0 21,08,86,527/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग, 07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202 इलेक्ट्रानिक्स, 17-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी मद'' में उपलब्ध धनराशि रु0 6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़ मात्र) में से मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्रा.लि. को अप्रैल 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि हेतु ब्याज उपादान की धनराशि रु 19,50,91,527/- (उन्नीस करोड़, पचास लाख, इक्यानबे हज़ार पाँच सौ सत्ताईस मात्र) तथा अप्रैल 2017 से सितम्बर 2019 की अवधि के लिए की गई ट्यूशन फीस सहायता धनराशि रु 1,57,95,000/-(एक करोड़, सत्तावन लाख, पंचानबे हज़ार मात्र) अर्थात कुल धनराशि **रू0** 21,08,86,527/- ( रूपये इक्सीस करोड़, आठ लाख, छियासी हजार, पांच सौ सत्ताइस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में आन्तरित की जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी की पात्रता के संबंध में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ संतुष्ट हो लेंगे।

(10) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-03-2024 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(12) नोडल संस्था यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उपर्युक्त प्रोत्साहनों हेतु उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करतें हुए आंकडो की शुद्धता भी पूर्ण सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,08,86,527 (रुपये इक्कीस करोड़ आठ लाख छियासी हजार पाँच सौ सत्ताईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072021700 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव

संख्या-35/2024/1620/001-78-01099-54-2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6. संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8. राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10. अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

11. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।